[2008] 6 एस.सी.आर. 253

यू.पी.सी.यू.ई.एफ. लिमिटेड

बनाम

गन्ना आयुक्त और आरसीसीएस और अन्य

(सिविल अपील संख्या: 2727/2008)

10 अप्रैल, 2008

न्यायाधिपति: तरूण चटर्जी, हरजीत सिंह बेदी

निर्णय न्यायाधिपति तरूण चटर्जी द्वारा निर्णय लिखाया गया।

1. आज्ञा प्रदान की गयी।

2. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दीवानी विविध रिट याचिका नंबर 33014/1993 में दिनांक 26 अप्रैल, 2005 को पारित फैसले और आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा दायर अपील है. उक्त उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी विविध याचिका नंबर 33014/1993 में दिनांक 26 अप्रैल, 2005 को पारित फैसले और आदेश के जरिये अपीलकर्ता की ओर से गन्ना आयुक्त और रजिस्ट्रार सहकारी गन्ना समितियां यूपी, लखनऊ उत्तरदाता संख्या 1 और विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित आदेशों, क्रमशः दिनांकित 17 मई, 1993

और 14 जुलाई, 1993, के विरूद्ध दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

3. इस अपील को दायर करने के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, शामली, उत्तरदाता संख्या 04 द्वारा नियोजित श्रमिकों का एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है। यहाँ उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्वर्गीय श्री. निरंजन सिंह अपीलकर्ता के साथ-साथ रिट याचिकाकर्ता नंबर 2 भी थे और उत्तरदाता संख्या 04 के स्थायी मौसमी क्लर्क थे, लेकिन रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

यूपी गन्ना सहकारी सेवा विनियम, 1975 (संक्षेप में "सेवा विनियम, 1975") को यूपी सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122 के तहत तैयार किया गया था, जिसने गन्ना सहकारी सेवा नियम, 1963 की जगह ली थी। ये नियम यूपी राज्य में विभिन्न चीनी मिलों को आपूर्ति के लिए अपने चीनी उत्पादक सदस्यों से चीनी की खरीद के लिए स्थापित सहकारी गन्ना विकास संघ या गन्ना सहकारी विकास समितियों के स्थायी और मौसमी कर्मचारियों की भर्ती, परिलब्धियों, सेवा की शर्तें और नियम आदि के लिये प्रावधान करते हैं।सेवा विनियम, 1975 के तहत, "पेराई सत्र" को विनियमन 2 (एन) में इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

"पेराई सत्र का अर्थ है, वह अवधि जो कि यूपी गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1953, यूपी अधिनियम संख्या-XXIV /1953 में परिभाषित हैं।

यूपी गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 2 (i) बदले में 'पेराई सत्र' को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"पेराई सत्र का अर्थ है किसी भी वर्ष में 1 अक्टूबर से शुरू होकर अगले वर्ष की 15 जुलाई को समाप्त होने वाली अवधि।"

गन्ना आयुक्त ,सहकारी गन्ना समितियाँ, उत्तर प्रदेश ने 17 मई, 1993 के एक आदेश द्वारा सेवा विनियम, 1975 में प्रदान की गई "पेराई सत्र" की परिभाषा को निम्नलिखित परिभाषा से प्रतिस्थापित किया: -

"पेराई सत्र का अर्थ है संबंधित चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू होने की तारीख से लेकर पेराई समाप्त होने की तारीख तक की अवधि।"

अपीलकर्ता का मामला है कि इस संशोधन के कारण मौसमी कामगारों के रोजगार की अवधि और उनकी मजदूरी भी प्रभावित हुई। इसके अलावा, सभी मौसमी श्रमिकों को 1975 के नियमों से पहले के समान स्थिति में रखा गया था, जिसके चलते सभी मौसमी श्रमिकों का रोजगार नियोक्ता की सनक और पसंद पर निर्भर हो गया और इसके चलते

मौसमी श्रमिक नियोक्ता की कमजोर युक्तियों के अधीन हो गये। चूंकि वास्तविकता में पेराई शुरू होने और समाप्त होने से पहले बहुत सारे काम करने की आवश्यकता होती है, जैसे गन्ने की आवाजाही का प्रबंधन, गन्ना उत्पादकों को ऋण का विस्तार, उर्वरकों की आपूर्ति, ऋणों की वसूली इत्यादि, इसलिए मौसमी श्रमिकों का रोजगार केवल पेराई अवधि तक सीमित नहीं किया जा सका। इन आधारों पर, अपीलकर्ता ने 17 मई, 1993 और 14 जुलाई, 1993 के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की क्योंकि उन्हीं आदेशों के चलते स्वर्गीय श्री निरंजन सिंह (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता संख्या 2) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की रिट याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है, जिसके संबंध में पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

4. इस अपील में जिन मुख्य प्रश्नों पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है वे हैं:-

i) क्या 17 मई 1993 के आदेश के आधार पर अपीलकर्ता की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने वाले दिनांक 14 जुलाई, 1993 के आदेश को पारित करने से पहले यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4-I या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 9 ए के तहत नोटिस देना अनिवार्य था?

ii) क्या उत्तरदाता नं. 1 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122 के तहत सेवा शर्तों पर नियम बनाने और उनमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है?

5. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बृजेन्द्र चाहर ने हमारे समक्ष जोरदार तर्क दिया कि बिना किसी उचित कारण के "पेराई सत्र" की परिभाषा में बदलाव न केवल मनमाना है, बल्कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों में उनके हितों को प्रतिकूल बदलाव के समान है जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है और किसी भी तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारे सामने आगे तर्क दिया कि गन्ना आयुक्त की कार्यवाई यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4-I के प्रावधानों के विपरीत थी क्योंकि कर्मचारियों को परिवर्तन की कोई सूचना नहीं दी गई थी। दूसरी ओर उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवा विनियम, 1975 में पेराई सत्र की परिभाषा में परिवर्तन हो जाने मात्र से ही अपीलकर्ता विपरीत तरीके से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि पहले भी सुगर फैक्ट्रियों में केवल उस अवधि तक के लिए ही श्रमिकों को रोजगार में रखा जाता था जब तक सुगर फैक्ट्रियाँ वास्तविक तौर पर संचालित होती थी और किसी भी सत्र में उक्त श्रमिकों को सुगर फैक्ट्रियों में कार्य पूर्ण होने के बाद रोजगार पर नहीं रखा जाता था।

6. अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले: -

"याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कोई भी नियोक्ता श्रमिकों की सेवा शर्तों, जो कि तीसरी अनुसूची में स्पष्ट की गयी है, में बदलाव नहीं कर सकता। न्यायालय ने तीसरी अनुसूची को ध्यानपूर्वक देखा और ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि तीसरी अनुसूचि भुगतान के तरीके, नियोक्ता द्वारा दिये गये या दिये जाने वाले योगदान, अनिवार्य तथा अन्य भत्ते, काम काज की अवधि और अंतराल, छुट्टी, सिफ्ट कार्य की अनिरंतरता, श्रेणियों का वर्गीकरण, विशेषाधिकारों की अनिरंतरता, अनुशासन के नये नियमों के समावेश, प्लांट का सुधार तथा युक्तिसंगतता, रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी। तीसरी अनुसूची सेवा शर्तों में बदलाव के बारे में बात नहीं करती। इसलिए मेरी राय में याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया एक मात्र तर्क लागू हाेता। उत्तरदाता द्वारा पारित आदेश किसी भी प्रकार से धारा 4-1 के प्रावधानों तथा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। चूंकि कोई और मुद्दा नहीं उठाया गया है और संशोधन याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों में किसी भी बदलाव की मांग नहीं करता है,

इसलिए मेरा विचार है कि किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी।"

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और उच्च न्यायालय के फैसले और प्रासंगिक प्रावधानों सहित रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों की जांच करने के बाद, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारा विचार है कि यह अपील अनुमति देने योग्य है और उच्च न्यायालय का आदेश नीचे लिखे कारणों के चलते रद्द किये जाने योग्य है।

8. सर्वप्रथम पहले प्रश्न पर विचार करते हैं, जिसके बारे में यहां पहले उल्लेख किया गया है। यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 4-I में परिवर्तन की सूचना का प्रावधान है और इसे इस प्रकार लिखा गया है: -

"4-I परिवर्तन की सूचना:- कोई भी नियोक्ता जो किसी भी कामगार के संबंध में लागू ऐसी सेवा की शर्तों में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव करता है जो तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मामला है, ऐसे परिवर्तन को अमल में नहीं लायेगा।

क) ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना वाले श्रमिकों को प्रस्तावित परिवर्तन की प्रकृति की निर्धारित तरीके से सूचना दिए बिना; या

बी) ऐसा नोटिस देने के इक्कीस दिनों के भीतर।"

तीसरी अनुसूची निम्नानुसार प्रदान करती है: -

"तीसरी अनुसूची (धारा 4-I देखें)

सेवा की शर्तें जिनमें बदलाव के लिए नोटिस दिया जाना है:

1. भुगतान की अवधि और तरीके सहित मजदूरी।

2. .

3. ...

4. .

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9.

10. ...

11. .विवेचन नहीं किया गया (क्योंकि इस मामले में आवश्यक नहीं है)।"

9. हमने यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4-I की जांच की है जो 'परिवर्तन की सूचना' और 'तीसरी अनुसूची' का प्रावधान करती है। उनकी सावधानीपूर्वक जांच से, हम उच्च न्यायालय के इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि तीसरी अनुसूची श्रमिकों की सेवा शर्तों में

बदलाव के बारे में बात नहीं करती है। यह धारा 4-I से स्पष्ट है यदि तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में किसी भी श्रमिक पर लागू सेवा की शर्तों में कोई बदलाव करना आवश्यक है, तो यह केवल उस कर्मचारी को नोटिस द्वारा किया जा सकता है जो इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित होगा। तीसरी अनुसूची स्पष्ट रूप से सेवा की शर्तों से संबंधित है जिसमें बदलाव के लिए नोटिस दिया जाना है। तीसरी अनुसूची में इन शर्तों के खंड 1 में स्पष्ट रूप से संकेत दिया जाएगा कि यदि श्रमिकों के भुगतान की अवधि और तरीके सहित मजदूरी में कोई बदलाव करना आवश्यक है, तो यह केवल श्रमिकों को नोटिस की सेवा के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए, तीसरी अनुसूची को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसमें सेवा की शर्तों की गणना की गई है, जिनमें बदलाव के लिए श्रमिकों को नोटिस दिया जाना है। तीसरी अनुसूची में इन सेवा शर्तों का खण्ड 1 यह स्पष्ट संकेत देता है कि यदि श्रमिकों को देय वेतन, जिसमें की श्रमिकों को वेतन देना की अवधि तथा भुगतान का तरीका शामिल है, में कोई बदलाव किया जाना जरूरी है तो ऐसा बदलाव उन श्रमिकों को नोटिस दिये जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है। इसलिए तीसरी अनुसूची के सामान्य पठन से यह स्पष्ट है कि तीसरी अनुसूची श्रमिकों की सेवा की उन शर्तों के बारे में बात करते हैं जिन सेवा शर्तों में बदलाव के लिये नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। इस मामले को देखते हुए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि तीसरी अनुसूची सेवा शर्तों में बदलाव के बारे में बात नहीं करती है, निराधार और स्वीकार्य नहीं है। इस कारण से, कर्मचारियों की सेवा शर्तों में

कोई भी बदलाव करने से पहले उन्हें एक नोटिस दिया जाना चाहिए था। अब हम विचार करते हैं कि क्या गन्ना आयुक्त द्वारा "पेराई सत्र" की परिभाषा में किए गए बदलाव का अपीलकर्ता की सेवा की शर्तों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। स्वीकार तौर पर पिछली परिभाषा के अनुसार, जिसके बारे में पहले उल्लेख किया गया है, "पेराई सत्र" का मतलब किसी भी वर्ष में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली और अगले 15 जुलाई को समाप्त होने वाली अवधि है। संशोधित परिभाषा के आधार पर, "पेराई सत्र" का तात्पर्य संबंधित चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू होने की तारीख से लेकर पेराई समाप्त होने की तारीख तक की अवधि से है। हमारे विचार में, "पेराई सत्र " की परिभाषा में यह बदलाव उस अवधि को प्रभावित करेगा जिसके लिए कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना है और यह परिवर्तन पूरी तरह से तीसरी अनुसूची के खंड 1 द्वारा कवर किया गया है जैसा कि इस निर्णय में पहले उल्लेख किया गया है। इसलिए, हमारे विचार में, "पेराई सत्र" की परिभाषा में कोई भी बदलाव करने से पहले अपीलकर्ता को नोटिस देना गन्ना आयुक्त का कर्तव्य है।

10. यहां हमारे द्वारा ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, हम तय करते हैं कि 17 मई, 1993 और 14 जुलाई, 1993 के आदेश यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4-I सपठित तीसरी अनुसूची के अनुपालन में कोई नोटिस दिए बिना पारित नहीं किए जा सकते थे । हमारे द्वारा ऊपर दिए गए हमारे निष्कर्षों के मद्देनजर, यूपी सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1965 की धारा 122 के तहत नियम बनाने और संशोधित करने के लिए उत्तरदाता नंबर 1 की शक्तियों से संबंधित प्रश्न संख्या 2 की विवेचना किया जाना आवश्यक नहीं है।

11. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका ऊपर बताई गई हद तक स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के यह अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, उत्तरदाता कानून के अनुसार " पेराई सत्र " की परिभाषा में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीताराम चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।